20रु. कोर्ट फी COURT भारत बीस रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

53

## समक्ष-न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक................./2016 निग -3092 I 16

**आवेदक-** कालू उर्फ कलुवा भुमिया आत्मज श्री रत्ना भुमिया जाति-आदिवासी निवासी-ग्राम लमतरा तह0 व जिला कटनी म0प्र0

**विरूद्ध**

**अनावेदक-** म0प्र0शासन

## पुनरीक्षण आवेदनपत्र-अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदक मानूनीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय **श्रीमान अपर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/बी-121/2013-14, में पारित** आदेश दिनांक **05.06.2014** से व्यथीत होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

### // प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि, आवेदक **ग्राम लमतरा** तह0 व जिला कटनी का स्थाई निवासी है।
2. यह कि, आवेदक की ग्राम **लमतरा** प0ह0नं0 40/50, रा0नि0मं0 मुड़वारा-2, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर **135/1** रकवा **0.34** हे0 भूमि का भूमिस्वामी मालिक काबिज है।
3. यह कि, उक्त भूमि पूर्व में **श्री दमड़ी भुमिया आत्मज छत्तारे, निवासी-ग्राम लमतरा तह0 व जिला कटनी** के नाम भूमि स्वामी स्वत्व में दर्ज थी। उक्त भूमि **श्री दमड़ी** को शासन द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई थी । जिनका नाम बाद में 10 वर्ष पश्चात् बतौर भूमि स्वामी खसरा अभिलेख में दर्ज किया गया तथा भूमि स्वामी अधिकार की ऋणपुस्तिका प्रदान की गई।
4. यह कि, श्री **दमड़ी भुमिया** की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि उनके विधिक वारसान 1. **श्री घनश्याम भुमिंया, 2.श्री बलराम भुमिया, 3. किरण भुमिया तीनों पिता दमड़ी भुमिया** के नाम पर वारसान हक में दर्ज कर खसरा अभिलेख में बतौर भूमि स्वामी वारसानों का नाम दर्ज किया गया ।
5. यह कि, **श्री दमड़ी भुमिया, निवासी-लमतरा तह0 व जिला कटनी** को उक्त भूमि वर्ष 1975 के पूर्व पट्टे पर प्राप्त हुई थी तथा 10 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद उन्हे धारा 158 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके थे।
6. यह कि, **दमड़ी भुमिया की मृत्यु उपरांत** उनके विधिक वारसानों के द्वारा ग्राम **लमतरा प0ह0नं0 40/50, रा0नि0मं0 मुड़वारा-2, तह0 व जिला कटनी के खसरा नंबर 135/1, रकवा 0.34** हे0 भूमि को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक **20.01.2009** को विक्रयपत्र की संपूर्ण राशि प्राप्त कर आवेदक के पक्ष में विक्रयपत्र का निष्पादन कराया गया है।
7. यह कि, विक्रेता एवं क्रेता एक ही **जाति वर्ग ( भुमिया/आदिवासी )** के होने के कारण विक्रय पूर्व मानूनीय कलेक्टर महोदय की विक्रय अनुमति आवश्यकता नहीं थी, अतः आवेदक द्वारा **आदिवासी से आदिवासी** पक्ष में विक्रयपत्र का निष्पादन कराया गया है जो कि वैद्य **संव्यवहार है** तथा उक्त संव्यवहार के लिये भूमि विक्रय अनुमति की आवश्यकता नही थी। .....2

ल
ट्टे
को
पूर्ण
वि0

....3

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3092/एक/2016 जिला–कटनी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4-10-16 | यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 62/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br><br>2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम लमतरा प.ह.न. 40/50 रा. नि.म. मुडवारा–2 तहसील व जिला कटनी के पटवारी द्वारा मिसल बंदौबस्त 1987–88 के प्रति के साथ शासकीय पट्टेदारो की मिसल बन्दोबस्त के आधार पर अपर कलेक्टर को सूची पेश कर प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम लमतरा प.ह.न. 40/50 स्थित भूमि खसरा नं. 135 रकवा 0.54 है0 भूमि बंदौबस्त अभिलेख के अनुसार मुक्खी बल्द कालू, शासकीय पट्टेदार का नाम दर्ज है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही करते हुये आलोच्य आदेश द्वारा प्रश्नाधीन पट्टे की भूमि को संहिता की धारा 165 (7–ख) के तहत् बिना अनुमति के अन्तरण किया जाना मानते हुये भूमि म.प्र. शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। अपर कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गयी है।<br><br>2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है, कि अपर कलेक्टर का आदेश अवैध एवं अनुचित है। | |

आदेश पारित करने के पूर्व पक्षकारो को अपना पक्ष रखने तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। इस कारण अपास्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि आवेदक एवं मुक्खी बल्द कालू द्वारा भूमि क्रय विक्रय के संबंध में संहिता की धारा 165 (7–ख) के तहत् सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने संबंधी अनुमति नहीं ली गयी। आवेदक द्वारा जिस समय भूमि क्रय गयी उस समय विक्रेता का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित था तथा भूमि अहस्तांतरणीय है इसका कोई उल्लेख राजस्व अभिलेखों में नहीं था। भूमि क्रय के उपरान्त क्रेताओं का विधिवत् नामान्तरण राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया। उक्त तथ्यों को अपर कलेक्टर ने पूरी तरह अनदेखा किया है भूमि का विक्रय सक्षम अधिकारी से हुआ था या नहीं इस तथ्य की भी कोई जॉच नहीं की गयी। यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर ने लम्बे समय पश्चात् पटवारी प्रतिवेदन पर से कार्यवाही की है, जोकि नहीं की जा सकती। इस संबंध न्यायदृष्टांत 1998 (1) एम.पी. वीकली नोट 26, 2005 आर.एन 66, 2010 आर.एन. 409, पूर्णपीठ उच्च न्यायालय 2013 आर.एन 08 उच्च न्यायालय प्रस्तुत की है, जिनके प्रकाश में उपरोक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उक्त आधारो पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3– अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित हुये है तथा उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत् आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

4— आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण पटवारी रिपोर्ट पर प्रारंभ हुआ है जिसके आधार पर अपर कलेक्टर यह मानकर की प्रश्नाधीन भूमि बन्दोबस्त अभिलेख के अनुसार मुक्खी बल्द कालू के नाम शासकीय पट्टेदार के रूप में दर्ज है और वर्तमान अभिलेख में उक्त भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज है। आवेदक एवं मुक्खी बल्द कालू द्वारा उक्त भूमि के क्रय विक्रय के संबंध में संहिता की धारा 165 (7—ख) के तहत् सक्षम अधिकारी अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अन्तरण को शून्य मानते हुये प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की गयी। इस प्रकरण के तथ्यो को देखते हुये अपर कलेक्टर का आदेश विधि सम्मत् एवं न्यायिक प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा भूमि मुक्खी बल्द कालू से पंजीकृत विक्रय पत्र सें क्रय की गयी है। भूमि क्रय करने के उपरान्त तद् समय क्रेता का नामान्तरण पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अधिकारी द्वारा किये गये है। अपर कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है प्रकरण में जो पटवारी प्रतिवेदन है उसमें उस बात का कोई उल्लेख नही है उक्त प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किन—किन वर्षो में तथा किस—किस व्यक्ति को किया गया है जबकि उक्त जानकारी राजस्व अभिलेखों के आधार पर पटवारी को रहती है अपर कलेक्टर द्वारा पटवारी रिपोट पर पक्षकारो को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना एवं साक्ष्य प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है जो न्यायिक एवं विधि सम्मत् नहीं है। विक्रय के लम्बे समय उपरान्त कार्यवाही करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जो प्रकरण के तथ्यों एवं आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उद्वरित

न्यायदृष्टांत 1998 (1) एम.पी वीकली नोटस 26, 2005 आर.एन. 66, 2010 आर.एन. 409 पूर्ण न्यायपीठ उच्च न्यायालय एवं 2013 आर.एन 08 उच्च न्यायालय के प्रकाश में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/बी—121/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि आवेदक का नाम पूर्ववत् राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जाये।

सदस्य